भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या- 2145
उत्तर देने की तारीख-05/08/2024

मध्याह्न भोजन योजना में भोजन की गुणवत्ता

2145 श्री राजीव रायः

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्याह्न भोजन योजना और प्रधानमंत्री पोषण योजना एक ही योजना है और यदि हां, तो इन दोनों योजनाओं में मूलभूत अंतर क्या है;
(ख) विगत पांच वर्षों के दौरान मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत आबंटित और उपयोग की गई निधि का राज्य-वार वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;
(ग) मध्याह्न भोजन के गुणवत्ता मानकों का ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा भोजन की गुणवत्ता का आकलन करने और उसे सुनिश्चित करने के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है;
(घ) विगत पांच वर्षों के दौरान मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत दूषित भोजन की आपूर्ति के कारण कितने बच्चे बीमार पड़े और कितने बच्चों की मृत्यु हुई; और
(ङ) ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जयन्त चौधरी)

(क): सरकार ने सरकारी और सरकारी-सहायता प्राप्त स्कूलों में पात्र बच्चों को गर्म पका हुआ भोजन उपलब्ध कराने के लिए केंद्रीय प्रायोजित योजना **'प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण (पीएम पोषण)'**, जिसे पहले स्कूलों में राष्ट्रीय मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के रूप में जाना जाता है, को वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक अनुमोदित किया है। सरकार ने पीएम पोषण योजना के तहत निम्नलिखित अतिरिक्त सुविधाओं को भी अनुमोदित किया है:

(i) **बालवाटिका का समावेश**: पूर्व-विद्यालयों या बालवाटिका (कक्षा 1 से पहले) के बच्चों और सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में कक्षा 1 से 8 तक पढ़ने वाले बच्चों को गर्म पका हुआ भोजन उपलब्ध कराना।

(ii) **तिथि भोजन**: तिथि भोजन एक सामुदायिक भागीदारी कार्यक्रम है जिसमें लोग विशेष अवसरों/त्योहारों पर बच्चों को नियमित भोजन के अलावा विशेष भोजन प्रदान करते हैं।

(iii) **स्कूल पोषण उद्यान**: इस योजना के तहत, बच्चों को प्रकृति और बागवानी का प्रत्यक्ष अनुभव देने के लिए, स्कूलों में स्कूल पोषण उद्यान के विकास को बढ़ावा दिया जा रहा है।

(iv) **सामाजिक लेखा परीक्षा**: योजना के तहत सभी जिलों में सामाजिक लेखा परीक्षा अनिवार्य कर दिया गया है। सामाजिक लेखा परीक्षा इक्विटी, समानता और व्यय प्रबंधन के मामलों को शामिल करते हुए लोगों की सक्रिय भागीदारी द्वारा एक योजना की सामूहिक निगरानी की जाती है।

(v) **वोकल फॉर लोकल:** 'वोकल फॉर लोकल' के तहत राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को निर्धारित पोषण और खाद्य मानदंडों के भीतर स्थानीय परिस्थितियों के लिए उपयुक्त मेनू तय करने और किसान उत्पादक संगठन, महिला स्वयं सहायता समूहों के संघ आदि से स्थानीय रूप से उगाए गए खाद्य पदार्थ जैसे बाजरा, सब्जियां, मसालों आदि की खरीद के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, ताकि पोषण मानकों में सुधार के साथ-साथ स्थानीय रोजगार सृजन और आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया किया जा सके।

(vi) **विशेष फोकस**: महत्वाकांक्षी जिलों/जनजातीय जिलों/कुपोषण के अधिक मामलों वाले जिलों आदि में पूरक पोषण के लिए पर्याप्त प्रावधान।

(vii) **आपदा प्रबंधन**: राज्य/केन्द्र सरकार द्वारा आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के रूप में अपनी शक्तियों के तहत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र, राज्य/संघ संघ राज्य क्षेत्र का भाग, कुछ राज्य/संघ संघ राज्य क्षेत्र या पूरे देश को आपदा प्रभावित घोषित किए जाने के कारण जब स्कूल बंद हो तो बच्चों के लिए गर्म पके हुए भोजन या खाद्य सुरक्षा भत्ते का प्रावधान।

(ख): पिछले पांच वर्षों के दौरान पीएम पोषण योजना के अंतर्गत जारी और उपयोग की गई धनराशि का राज्यवार ब्यौरा **अनुलग्नक-I** में दिया गया है।

(ग) से (ङ): पात्र बच्चों को गर्म पका हुआ और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने सहित योजना के सुचारू संचालन की समग्र जिम्मेदारी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की है। भारत सरकार ने सभी राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को योजना के तहत अच्छी गुणवत्ता वाला भोजन उपलब्ध कराने के लिए गुणवत्ता, सुरक्षा और स्वच्छता पर विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं। ये दिशा-निर्देश आधिकारिक वेबसाइट https://pmposhan.education.gov.in पर उपलब्ध हैं। इन दिशा-निर्देशों में, अन्य बातों के साथ-साथ, स्कूलों को भोजन तैयार करने के लिए एगमार्क गुणवत्ता और ब्रांडेड वस्तुएं खरीदने, रसोइया-सह-सहायकों को प्रशिक्षण देने, बच्चों को परोसने से पहले कम से कम एक शिक्षक सहित स्कूल प्रबंधन समिति के 2-3 सदस्यों द्वारा भोजन चखने के निर्देश दिए गए हैं। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सभी जिलों में कम से कम 20 स्कूलों या 2% स्कूलों में सामाजिक लेखा परीक्षा आयोजित करने की आवश्यकता है, जो भी प्रत्येक जिले के लिए अधिक हो। इसके अलावा, मध्यान्ह भोजन नियम, 2015 में सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं द्वारा खाद्य नमूनों की अनिवार्य जांच का प्रावधान है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि भोजन पोषण मानकों और गुणवत्ता को पूरा करता है। भारतीय खाद्य निगम (एफ़सीआई) को सर्वोत्तम उपलब्ध गुणवत्ता वाले खाद्यान्न जारी करने की जिम्मेदारी दी गई है, जो किसी भी मामले में कम से कम उचित औसत गुणवत्ता (एफ़एक्यू) का होगा। एफसीआई प्रत्येक राज्य के लिए एक नोडल अधिकारी नियुक्त करता है, जो पीएम पोषण योजना के तहत खाद्यान्नों की आपूर्ति में आने वाली विभिन्न समस्याओं का समाधान करता है। जिला कलेक्टर/जिला पंचायत के सीईओ यह सुनिश्चित करते हैं कि एफसीआई और कलेक्टर और/या जिला पंचायत के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के नामित व्यक्ति की टीम द्वारा संयुक्त निरीक्षण के बाद कम से कम एफएक्यू का खाद्यान्न उठाया जाए और उनके द्वारा पुष्टि की जाए कि अनाज कम से कम एफएक्यू मानदंडों के अनुरूप है। पिछले पांच वर्षों के दौरान पीएम पोषण योजना के तहत दूषित भोजन की आपूर्ति के कारण बीमार हुए बच्चों की संख्या **अनुलग्नक-II** में दी गई है।

*****

अनुलग्नक-I

मध्याह्न भोजन योजना में भोजन की गुणवत्ता के संबंध में माननीय संसद सदस्य श्री राजीव राय द्वारा पूछे गए दिनांक 05.08.2024 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2145 के भाग (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

पीएम पोषण योजना के तहत जारी और उपयोग की गई केंद्रीय सहायता

(रुपए लाख में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	जारी की गई	उपयोग की गई	जारी की गई	उपयोग की गई	जारी की गई	उपयोग की गई	जारी की गई	उपयोग की गई	जारी की गई
		2019-20		2020-21		2021-22		2022-23		2023-24
1	आंध्र प्रदेश	28563.77	26861.33	37510.17	37320.99	35731.48	35460.14	36531.92	33872.58	25342.88
2	अरुणाचल प्रदेश	2367.9	2367.9	2917.87	2917.87	2968.58	647.16	1707.01	3106	2573.12
3	असम	55325.82	56024	75703.77	76469.2	61570.1	67949.19	88721.4	71906.34	59594.79
4	बिहार	109313.34	113259.9	139248.01	138557.69	103016.32	142606.72	76399.12	168288.4	92323.54
5	छत्तीसगढ	25489.23	26886.06	38080.87	42439.58	21315.32	34067.95	51008.15	41419.62	24313.65
6	गोवा	1276.05	1161.03	1709.34	981.35	668.18	1416.47	1531.12	2248.9	1832.31
7	गुजरात	39287.11	37962.06	52871.83	59593	50706.46	49297.72	52293.03	74368.81	37785.29
8	हरियाणा	10889.91	13315.45	15572.73	15764.16	10163.12	8456.23	15290.09	34580.7	16089.74
9	हिमाचल प्रदेश	7557.54	7789.72	10500.11	9477.67	6290.49	9731.03	13801.77	14118.06	9435.53
10	जम्मू एवं कश्मीर	2666.45	7949.01	15960.26	14306.84	12221.88	14788.59	8684.9	17334.88	13680.88
11	झारखंड	32310.9	30621.39	35203.74	33824.83	25189.45	56534.44	38424.29	64142.71	34202.20
12	कर्नाटक	52056.79	49733.8	51553.53	56520.02	48834.32	60863.39	69076.57	59162.25	55973.07
13	केरल	19962.41	20305.5	27688.82	28776.38	18482.19	32123.1	42543.83	39309.54	24901.32
14	मध्य प्रदेश	50407.62	51791.74	82754.74	87607.86	47220.22	47793.37	36285	59340.01	63404.21
15	महाराष्ट्र	99468.82	84615.36	100250.03	86677.29	49075.07	121547.2	159240.67	142401.71	79372.10
16	मणिपुर	2192.3	2262.23	3900.45	4099.46	1678.74	2862.5	2763.32	3058.55	2459.64
17	मेघालय	7835.83	7466.38	8733.94	8777.11	8564.77	8624.13	10124.13	11164.12	10186.01
18	मिजोरम	2047.93	1858.51	2313.45	1340.07	892.98	558.94	2974.36	4898.66	2407.96
19	नागालैंड	2279.38	2557.08	2744.38	2675.07	1472.51	2411.82	3196.49	2458.51	2250.44
20	ओडिशा	40358.68	39699.88	58301.22	64346.08	48208.87	50065.72	56373.86	54801.79	51937.63
21	पंजाब	13855.77	14797.65	21769.15	20113.24	19146.03	19277.64	18712.92	17926.66	19988.62
22	राजस्थान	47252.76	44287.52	71100.05	71641.38	53106.11	78354.32	89960.12	68337.96	31727.94
23	सिक्किम	817.45	762.31	840.58	856.96	500.65	848.59	1145.02	835.15	801.45
24	तमिलनाडु	43121.49	41150.06	49221.67	34969.3	23264.94	42238.65	47700.1	40284.4	39852.49
25	तेलंगाना	18821.14	16223.73	4524.22	0	4334.63	9641.08	16682.36	14517.48	14550.92
26	त्रिपुरा	5598.51	6976.09	6220.56	8385.98	7718.82	7240.19	6857.03	8110.85	4434.26
27	उत्तराखंड	10273.31	9604.07	13024.3	12473.54	12477.64	12380.16	11575.54	18425.51	11482.42
28	उत्तर प्रदेश	118201.96	111492.96	207166.14	210748.19	199805.66	193883.87	133407.6	116422.04	100659.56
29	पश्चिम बंगाल	107102.66	107482.58	134330.72	131530.83	139412.35	138035.74	148947.05	Awaited	00.00

30	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	754.85	354	648.71	456.33	540.19	416.03	365.23	291.82	505.97
31	चंडीगढ़	884.26	722.45	1338.56	908.99	1721.62	1616.13	1773.77	1004.42	639.40
32	दादर और नगर हवेली	572.89	775.96	1307.94	1200.32	1221.23	1274.38	1227.1	1899.62	807.92
	दमन और दीव	258.31								
33	दिल्ली	10319.99	7022.89	11297.29	9955.46	4403.79	6972.51	21527.1	1015.91	8370.83
34	लक्षद्वीप	122.35	10.01	32.62	144.74	0	0	83.74	25815.88	95.39
35	लद्दाख	98.93	93.17	555.79	320.36	376.96	380.82	200.61	118.04	504.21
36	पुदुचेरी	290.01	397.36	503.45	532.06	373.33	577.47	363.04	317.19	634.04
कुल (लाख में)		970004.42	946641.10	1287401.01	1276710.00	1022675.0	1260943.00	1267501.91	1216289.16	845121.73
कुल (करोड़ में)		9700.04	9466.41	12874.01	12767.10	10226.75	12609.43	12675.02	12162.89	8451.22

अनुलग्नक-II

मध्याह्न भोजन योजना में भोजन की गुणवत्ता के संबंध में माननीय संसद सदस्य श्री राजीव राय द्वारा पूछे गए दिनांक 05.08.2024 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2145 के भाग (ग) से (ङ) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

वर्ष **2019** से **2024** के दौरान पीएम पोषण योजना के अंतर्गत भोजन करने के बाद बीमार बनाए गए बच्चों की संख्या (दिनांक **30.07.2024** तक)

क्र. सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**घटनाओं की वर्षवार संख्या**							**बीमार बताए गए बच्चों की संख्या**
		2019	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**कुल**	
1	बिहार	-	-	-	-	-	2	2	198
2	दिल्ली	-	-	-	-	2	-	2	170
3	ओडिशा	-	-	-	1	-	-	1	42
4	तमिलनाडु	1	-	-	-	-	-	1	43
5	उत्तर प्रदेश	-	-	1	-	-	-	1	47
6	पश्चिम बंगाल	-	-	-	-	1	-	1	25
	कुल	**1**	**-**	**1**	**1**	**3**	**2**	**8**	**525**

*****